समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय को सम्बोधित करें, अन्य किसी अधिकारी के नाम से नही

पत्र संख्या : GC/ST-12913-14
दिनांक : 20/6/23

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

सेवा में,

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक, ल०वि०वि०।
2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या,
लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त/ सम्बद्ध विद्यालय/ महाविद्यालय,
लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली।

क्रम संख्या	नियमावली के अनुसार प्राविधान	नियमावली के अनुसरण में कड़ाई से अनुपालनार्थ निर्देश
1.	जिन शिक्षण संस्थानों/ पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय व राज्य स्तरीय प्रवेश प्रीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के तहत प्रवेश परीक्षा की कार्यवाही की जाती है, ऐसे पाठ्यक्रमों में यदि कोई छात्र जिसने प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन तक नही किया है, को मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। मैनेजमेंट कोटा के छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही है।	शिक्षण संस्थानों/ पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय व राज्य स्तरीय प्रवेश प्रीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के तहत प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेशित छात्र/ छात्राओं के ही शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र को अग्रसारित करें। मैनेजमेंट कोटा के छात्रों को छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नही है।
2.	प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पालीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसमें तीन वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के साथ–साथ दो वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग व डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में यदि कोई छात्र प्रवेश परीक्षा में आवेदन किये बिना सीधा किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है तो वह मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित होगा।	प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा पालीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में आवेदन किये बिना सीधे संस्थान मे प्रवेश लेता है तो वह मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित होगा। ऐसे छात्र/ छात्राएं शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु पात्र नही हैं।
3.	कतिपय जनपदों द्वारा पृच्छा की जाती है कि किसी पाठ्यक्रम में मैनेजमेंट कोटा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष मे आच्छादित छात्र पाठ्यक्रम के अन्य वर्षों में भी मैनेजमेंट कोटा के छात्र रहेंगें अथवा नही, के क्रम में अवगत कराना है कि मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित छात्र पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि में मैनेजमेंट कोटा के ही छात्र माने जायेंगें।	मैनेजमेंट कोटा से आच्छादित छात्र पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि में मैनेजमेंट कोटा के ही छात्र माने जायेंगें। अतः ऐसे छात्र/ छात्रा सम्पूर्ण पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु पात्र नही हैं।
4.	नियमावली के प्राविधान हैं कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरने, संस्था में छात्रों के अध्ययनरत न पाये जाने, संस्था द्वारा छात्र/ छात्रा के किसी अन्य संस्थान में अध्ययनरत होते हुए भी अपने संस्थान से आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, छात्रों द्वारा माता–पिता की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर आवेदन करना, छात्रों द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना, कूटरचित अभिलेखों के आधार पर छात्र/ संस्थान द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना एवं संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन को सत्यापित एवं अग्रसारित	➢ शिक्षण संस्थान के स्तर से छात्र/ छात्राओं से सम्बन्धित वास्तियक/ सही सूचनाएं टंकित करना सुनिश्चत करें। एवं ➢ छात्र एवं छात्राओं द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु भरे गये आवेदन पत्र में समस्त सूचनाओं एवं अभिलेखों को भली–भांति परीक्षण करने के उपरान्त सही पाये जाने पर ही आवेदन पत्र को अग्रसारित करें। ➢ छात्र एवं छात्राओं द्वारा शुल्क

	करना आदि अनियमतता पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/ शिक्षण संस्थानों के संचालकों/ प्रधानाचार्यों/ शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के सुसंगत धाराओं प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। नियमावली में यह भी प्राविधान है कि छात्रों एवं शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में दर्ज कराने, एवं मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों के माध्यम से की जाये। इस सम्बन्ध में शिक्षण संस्थानों में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही समय–समय पर आपके स्तर से की जानी चाहिए।	प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु भरे गये आवेदन पत्र को अग्रसारित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि छात्र/छात्रा आपके ही संस्थान में अध्ययनरत है, किसी अन्य संस्थान में अध्ययनरत नही होना चाहिए। ➢ प्रत्येक परिस्थिति में छात्र/ छात्राओं को अपने माता/ पिता की आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। माता/ पिता की आय का प्रमाणन उपलब्ध न कराये जाने की परिस्थति में छात्र/ छात्रा शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु अपात्र माने जायेंगें। अतः ऐसे छात्र/ छात्राओं का आवेदन पत्र अग्रसारित नही करेंगें।
5.	नियमावली के नियम–17 में जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की गयी है। उक्त समिति नियमावली के प्राविधान के अनुसार पाठ्यक्रम में शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र का प्रतिवर्ष परीक्षा में शामिल परीक्षार्थीयों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन किया जायेगा। पाठ्यक्रमों में अनुमोदित सीटों के सापेक्ष 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों का प्रवेश लेने वाली व विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की रू० 01 करोड़ से अधिक माग वाली निजी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन करने का भी प्राविधान है। उक्त नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध कराया जाना चाहिये किन्तु आपके स्तर से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है। अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।	–
6.	नियमावली में प्राविधान किया गया है कि यदि किसी संस्थान में नवीनीकरण के छात्रों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो प्राप्त की गयी धनराशि संस्था को वापस करनी होगी। इसका भी गहन सत्यापन किया जाय।	नवीनीकरण हेतु छात्रों के आवेदन पत्रों को अग्रसारित करने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि नवीनीकरण के छात्रों का प्रतिशत 50 या उससे अधिक है, अन्यथा की स्थिति में प्राप्त की गयी धनराशि को सम्बन्धित कल्याण विभाग को वापस करना प्रत्येक स्थिति में अनिवार्य है।
7.	वर्ष 2020–21 से छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये हैं। आनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात् ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में छात्रो के हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा। इस क्रम में आपके स्तर से प्रत्येक शिक्षण संस्थान में कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विस्तृत जानकारी दी जानी है। शिक्षण	अपने स्तर/ माध्यम से विद्यालय/ महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को निम्नलिखित विवरणार्थ जानकारी से निज्ञ करवाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करें – ➢ छात्रो के हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा।

	संस्थानों को निर्देशित कर दिया जाय कि जिन छात्रों के आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें युद्धस्तर पर बनवा लिया जाय तथा आधार कार्ड में गलत डाटा है तो उसे अपडेट करा लिया जाय।	➢ जिन छात्रों के आधार कार्ड नहीं हैं वे आधार कार्ड बनवा लें तथा आधार कार्ड में गलत डाटा है तो उसे अपडेट करा लें।
8.	नियमावली में प्रविधान है कि यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ देता है तो उस छात्र को पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि को वापस करनी होगी। इस क्रम में जनपद के प्रत्येक शिक्षण संस्थान का कड़ाई से सत्यापन करते हुए नियम का अनुपालन किया जाय।	यदि कोई छात्र पूर्ण पाठ्यक्रम की अवधि को पूर्ण किये बिना ही पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ देता है तो उस छात्र को पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि को वापस करनी होगी। इस क्रम में अपने स्तर से कड़ाई से सत्यापन करते हुए नियम का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
9.	वर्ष 2020–21 से जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ–साथ छात्रवृत्ति का कार्य देख रहे पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लॉक किये जाने की कार्यवाही का प्राविधान किया गया है। छात्रवृत्ति का डाटा लॉक करने की कार्यवाही आपके कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर से करायी जाती है। इसलिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति आपरेटर से करायी जाती है। इसलिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में किसी भी अनियमितता के लिए तीनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।	–
10.	निदेशालय में उपस्थित होकर अधिकांश छात्रों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि संस्थान में पढ़ाने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं तथा कई अध्यापक एक से अधिक संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है यह संस्थान विभिन्न वर्गों के छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि से संस्थान के फैकल्टी सदस्यों को वेतन आदि भुगतान करते हैं। कल्याण सेक्टर के विभागों द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसियों द्वारा निधारित मानक के अनुरूप अध्यापक की नियुक्ति न कर केवल दिखावे के लिए अध्यापक को रखना अथवा एक ही अध्यापक को एक से अधिक संस्थानों में नियुक्त करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि संस्थानों द्वारा विभागों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त शासकीय धनराशि को गबन/अनियमितता करने के उद्देश्य से प्राप्त की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है। इस सम्बन्ध में समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थानों का स्थलीय सत्यापन करना चाहिये, ताकि शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रों के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को प्राप्त हो रहीं शासकीय धनराशि की अनयमितता रोकी जा सकें। परीक्षण में अनियमितता करने वाले शिक्षण संस्थानों का विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से संस्थानो के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव सम्बन्धित निदेशालयों का उपलब्ध करायें ताकि पाठ्यक्रमों/शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं	➢ संस्थान में विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसियों द्वारा निधारित मानक के अनुरूप निर्धारित शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने वाले शिक्षक को नियुक्त किया जाय। ➢ सुनिश्चित कर लें कि आपकी संस्था में नियुक्त शिक्षक किसी अन्य संस्थान में पढ़ाने नही जातें है। ➢ विभिन्न वर्गों के छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि से संस्थान के फैकल्टी सदस्यों को वेतन भुगतान आदि आदि में न किया जाये।

	एफिलिएटिंग एजेंसियों व सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जा सके।	
11.	गत वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क लॉक किये जाने को सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों का वर्तमान सत्र में भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। राज्य विश्वविद्यालयों से सहयुक्त निजी क्षेत्र के संस्थानों में संचालित जिन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क का सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है उन पाठ्यक्रमों में नियमावली के नियम–5 के अनुसार कार्यवाही करायी जाय। यदि किसी विश्वविद्यालय से अथवा किसी निजी शिक्षण संस्था से विश्वविद्यालय स्तर से निर्धारित शुल्क का पत्र प्राप्त होता है तो उनसे उस पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/ कृषि शिक्षा विभाग आदि के अनुमोदन की प्रति भी मांगी जाय। प्रति प्राप्त होने पर ही शुल्क लॉक करने की कार्यवाही की जाय।	➢ विद्यालय/ महाविद्यालय का मास्टर डाटा भरते समय पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क का सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन से अनुमोदित शुल्क ही टंकित कर अग्रसारित करें। विश्वविद्यालय से अथवा किसी निजी शिक्षण संस्था से विश्वविद्यालय स्तर से निर्धारित शुल्क का पत्र प्राप्त है तो उनसे उस पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/ कृषि शिक्षा विभाग आदि के अनुमोदन की प्रति प्राप्त होने पर लखनऊ विश्वविद्यालय स्तर से मास्टर डाटा को अग्रसारित करवाने हेतु मास्टर डाटा साथ अनुमोदन की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायें। ➢ उपरोक्त के, अभाव में मास्टर डाटा में शुल्क भरते समय प्रत्येक स्थिति में नियम–5 का अनुपालन सुनिश्चित करें। (अवलोकनार्थ नियम– संलग्न है)
12.	विगत कई शिक्षा सत्रों से आपके स्तर से नवीन पाठ्यक्रमों को कोर्स मास्टर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता रहा है। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय स्तर से कैम्पस में अथवा किसी शिक्षण संस्थान में नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने का पत्र देते हुए कोर्स मास्टर में सम्मिलित करने का अनुरोध किया जाता है तो इस सम्बन्ध ने विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नवीन पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/कृषि शिक्षा विभाग आदि के अनुमोदन की प्रति भी मांगी जाय। प्रति प्राप्त होने पर ही नवीन पाठ्यक्रम को कोर्स मास्टर सम्मिलित करने हेतु निदेशालय में प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।	नवीन पाठ्यक्रमों को द्वारा विश्वविद्यालय, निदेशालय में प्रस्ताव प्रेषित करने की प्रक्रिया के क्रम में विश्वविद्यालय स्तर से नवीन कोर्स को मास्टर में सम्मिलित करने हेतु अनुरोध पत्र के साथ विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नवीन पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/कृषि शिक्षा विभाग आदि के अनुमोदन की प्रति संलग्न करना अति आवश्यक है।
13.	विभिन्न जांचों मे यह पाया जा रहा है कि आप द्वारा शिक्षण संस्थानो/छात्रों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है तथा शिक्षण संस्थानों की मान्यता व उनकी मान्यता की निरन्तरता का भी परीक्षण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मान्यताविहीन अथवा गलत मान्यता वाले शिक्षण संस्थान आपकी लापरवाही/उदासीनता के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अनियमित रूप से प्राप्त कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से जिलाधिकारी के सहयोग से समस्त निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों का समय–समय पर भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन किया जाय ताकि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की शासकीय धनराशि की अनियमितता/गबन को रोका जा सके।	–
14.	प्रदेश में छात्र/छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत न्यूनतम	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु छात्र/छात्राओं को शासन द्वारा निर्धारित 75

	उपस्थिति होने पर ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति के उपरान्त भुगतान की जाती है। इस सम्बन्ध मे विश्वविद्यालय/एफिलिएटिंग एजेंसी तथा सहयुक्त शिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं के आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को शिक्षण संस्थानों में स्थापित करने में प्रतिछात्र प्रतिवर्ष होने वाले व्यय को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।	प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति प्रत्येक दशा में अनिवार्य है। उक्त के दृष्टिगत छात्र/छात्राओं के आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से शासन स्तर पर निर्णय के अनुपालन में आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को स्थापित करना सुनिश्चित करें जिस पर प्रतिछात्र प्रतिवर्ष होने वाले व्यय को आपकी संस्थान द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
15.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थानों के जिन छात्र / छात्राओं का डाटा स्वीकृत किया गया था, उन डाटा का निदेशालय स्तर पर परीक्षण में पाया गया कि अत्यधिक संख्या में छात्र नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र नहीं थे, यथा– हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के उपरांत निर्धारित समय–सीमा 06 वर्ष के पश्चात आई०टी०आई० के छात्रों का डाटा की स्वीकृति, मैनेजमेन्ट कोटा के छात्रों की स्वीकृति, अनुसूचित जाति छात्रों हेतु कतिपय पाठ्यक्रमों में निर्धारित 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता सामान्य वर्ग में 55 प्रतिशत अंक की बाध्यता के विपरीत इससे कम अंक वाले छात्रों की स्वीकृति, आनलाइन डाटा में छात्रों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर स्वीकृति, विश्वविद्यालय / एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से छात्र के सत्यापित न होने पर भी छात्रों के डाटा पर स्वीकृति, गत वर्ष का परीक्षाफल घोषित न होने पर भी अग्रेतर वर्ष में डाटा पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो पूर्णतया आपकी उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। इस प्रकार के डाटा को गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिये था।	निम्नलिखित परिस्थिति में छात्र/ छात्राओं के आवेदन पत्रों को किसी भी परिस्थिति में अग्रसारित न करें – ➢ मैनेजमेन्ट कोटा के छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति हेतु पात्र नही हैं। ➢ अनुसूचित जाति छात्रों हेतु कतिपय पाठ्यक्रमों में निर्धारित 50 प्रतिशत अंक एवं सामान्य वर्ग में 55 प्रतिशत अंक की बाध्यता निर्धारित है, ➢ जिला समाज कल्याण विभाग स्तर से से छात्रों के डाटा को स्वीकृत कराने से पूर्व एफिलियेटिंग एजेंसी (विश्वविद्यालय) स्तर से छात्रों के डाटा पर स्वीकृति/ अग्रसारित करवाना अनिवार्य है। ➢ गत वर्ष का परीक्षाफल घोषित होने के उपरान्त ही अग्रेतर वर्ष में डाटा पर स्वीकृति प्रदान की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करें।
16.	वर्तमान में 03 जनपदों क्रमशः लखनऊ, हरदोई व फर्रुखाबाद में 10 शिक्षण संस्थानों की प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ की टीम द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता की जांच की जा रहीं है। उक्त जांच में यह परिलक्षित हो रहा है कि शिक्षण संस्थानों में फर्जी छात्रों को प्रवेश दिखाकर फिनो पेमेन्ट बैंक को घोटाले में सम्मिलित कर बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है। जांच में यह भी पाया जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों को प्राप्त वास्तविक मान्यता व मास्टर डाटा में दर्ज नाम में भिन्नता है अथवा संस्थानों को मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी मास्टर डाटा में जनपद स्तर से अनियमितता करके नाम सम्मिलित कराया गया है। ऐसे प्रकरणों की गहन छानबीन / विवेचना आपके स्तर से की जानी है।	छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता को नगण्य करने के क्रम में विभिन्न माध्यमों से छात्राओं को राष्ट्रीय बैंकों में खाता खुलवाने हेतु प्रेरित करें।
17.	नियमावली के प्राविधानों / नियमों तथा उल्लिखित निर्देशों के क्रम में जांच हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :–	

	1. सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, स०क० – अध्यक्ष 2. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य सचिव 3. सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) – सदस्य 4. सहायक विकास अधिकारी – सदस्य 5. समाज कल्याण पर्यवेक्षक – सदस्य 6. ग्राम विकास अधिकारी – सदस्य	

भवदीय,

19-6-23

(संजय मेधावी)
कुलसचिव

संलग्नकः यथोपरि

संख्या : ..... दिनांक: .....

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, समाज कल्याण, कल्याण भवन, प्रयाग नारायण रोड, लखनऊ।
2. समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर, सीतापुर, रायबरेली।

(शशि प्रभा तिवारी)
उप कुलसचिव
(छात्रवृत्ति)
ल०वि०वि०।